

प्रेस नोट दिनांक 24.05.2026

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की प्रभावी कार्यवाही — रंगदारी व धमकी के अभियोग में वांछित अभियुक्त नवीन कुमार सिंह उर्फ पिन्टू सिंह गिरफ्तार

थाना बाघराय पुलिस द्वारा रंगदारी मांगने, धमकी देने एवं झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रचने के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस द्वारा रंगदारी व धमकी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त नवीन कुमार सिंह उर्फ पिन्टू सिंह को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।

वादिनी निवासी ग्राम बरबसपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना बाघराय पर तहरीर दी गई कि कि नवीन कुमार सिंह उर्फ पिन्टू सिंह निवासी गोगौरी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ द्वारा सुरेन्द्र गौतम की मृत्यु के प्रकरण में अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु उनके परिवार को धमकाते हुए रुपये की मांग की जा रही है। वादिनी के अनुसार भयवश उनके द्वारा 50,000 रुपये दिलवाये गये, इसके बावजूद लगातार झूठे मुकदमों में फंसाने एवं जान-माल की धमकी दी जा रही है। वादिनी ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके पति को गंभीर आपराधिक प्रकरण में फंसाने की साजिश की जा रही है, जिसके संबंध में ऑडियो रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में थाना बाघराय में मु0अ0सं0 129/2026 धारा 308(7) बीएनएस बनाम नवीन कुमार सिंह पुत्र इन्द्रमणि सिंह बनाम गोगौरी, बाघराय, प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में थाना बाघराय के उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 देवी दयाल वर्मा, उ0नि0 दिनेश कुमार, हे0का0 अतुल त्रिपाठी, का0 संदीप कुमार, का0 सचिन ठेनुआ द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 129/2026 धारा 308(7) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त को नवीन कुमार सिंह उर्फ पिन्टू सिंह पुत्र इन्द्रमणि सिंह निवासी ग्राम गोगौरी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. नवीन कुमार सिंह उर्फ पिन्टू सिंह पुत्र इन्द्रमणि सिंह निवासी ग्राम गोगौरी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष।

अभियुक्त नवीन कुमार सिंह उर्फ पिन्टू सिंह पुत्र इन्द्रमणि सिंह निवासी ग्राम गोगौरी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0- 198/2005 धारा 420 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0- 45/2006 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0- 129/2007 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0- 141/2007 धारा 342/506 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
05. मु0अ0सं0- 86/2008 धारा 323/427/504/506 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
06. मु0अ0सं0- 137/2009 धारा 110G सीआरपीसी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
07. मु0अ0सं0- 156/2012 धारा 147/353/504/506 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
08. मु0अ0सं0- 108/2018 धारा 354क/504/506 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
09. मु0अ0सं0- 130/2019 धारा 323/504/506 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
10. मु0अ0सं0- 175/2019 धारा 353/504/506 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
11. मु0अ0सं0- 253/2019 धारा 504/507 भादवि व 66D आईटी एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
12. मु0अ0सं0- 247/2022 धारा 323/504 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 देवी दयाल वर्मा, उ0नि0 दिनेश कुमार, हे0का0 अतुल त्रिपाठी, का0 संदीप कुमार, का0 सचिन ठेनुआ थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित तिवारी मय हमराह का० हिमान्शु द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0अ0सं0 841/17 धारा 395, 397, 412, 414, 34 भादवि थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त सुहैल उर्फ मामा पुत्र स्व० गुलहसन निवासी भुलियापुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को क्षेत्रान्तर्गत भुलियापुर ग्राउण्ड से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सुहैल उर्फ मामा पुत्र स्व० गुलहसन निवासी भुलियापुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अंकित तिवारी मय हमराह का० हिमान्शु थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना मानिकपुर प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना मानिकपुर के उ0नि0 संजय कुमार मय हमराह, का0 ध्यानचन्द, का0 प्रवीन कुमार, रि0का0 सौरभ सरोज द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 75, 296, 351 (3) बीएनएसल व 11/12 पाक्सो एक्ट थाना मानिकपुर प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त करन कुमार सोनकर पुत्र उमेश चन्द सोनकर निवासी पूरे हुलासराय का पुरवा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत गढी मानिकपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. करन कुमार सोनकर पुत्र उमेश चन्द सोनकर निवासी पूरे हुलासराय का पुरवा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 संजय कुमार मय हमराह, का0 ध्यानचन्द, का0 प्रवीन कुमार, रि0का0 सौरभ सरोज थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने व आईटी एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त विजय कुमार सरोज गिरफ्तार-

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत गढी समदाबाद के आगे ऊँचागाँव मोड के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री

अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना मानिकपुर प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक रामवृक्ष यादव मय हमराह उ०नि० अमरनाथ सिंह, का० संदीप पटेल, रि०का० प्रिन्स राय द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना अन्तर्गत 69, 351(3), 352 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त विजय कुमार सरोज पुत्र लखन सरोज नि०लाला का पुरवा पुरनेमऊ थाना हथिगवाँ जनपद प्रतापगढ़ उम्र 26 वर्ष को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत गढी समदाबाद के आगे ऊँचागाँव मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. विजय कुमार सरोज पुत्र लखन सरोज नि०लाला का पुरवा पुरनेमऊ थाना हथिगवाँ जनपद प्रतापगढ़ उम्र 26 वर्ष।

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोबाईल रियलमी 5जी।

पुलिस टीम-

निरीक्षक रामवृक्ष यादव मय हमराह उ०नि० अमरनाथ सिंह, का० संदीप पटेल, रि०का० प्रिन्स राय थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 06 जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ 02 अभियुक्तों- राजू गुप्ता व तौफीक उर्फ बरसाती को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्तों को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत रेलवे कालोनी पानी टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ०नि० अमित सिंह चौकी प्रभारी भगवा मय हमराह का० श्याम सुन्दर, का० सोनवीर सिंह, का० नागेन्द्र कुमार, का० शिवम द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/वाहन, तलाश वांछित वारण्टी, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत रेलवे कालोनी पानी टंकी के पास से 02 अभियुक्तों- 1. राजू गुप्ता पुत्र मिठाई लाल गुप्ता निवासी चकबन तोड़ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष, 2. तौफीक उर्फ बरसाती पुत्र दुखी निवासी चकबनतोड़ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष, को 06 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त राजू गुप्ता व तौफीक उर्फ बरसाती के पास से 06 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0- 304/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. राजू गुप्ता पुत्र मिठाई लाल गुप्ता निवासी चकबन तोड़ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष
2. तौफीक उर्फ बरसाती पुत्र दुखी निवासी चकबनतोड़ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष ।

बरामदगी-

06 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज बरामदा

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अमित सिंह चौकी प्रभारी भगवा मय हमराह का० श्याम सुन्दर, का0 सोनवीर सिंह, का० नागेन्द्र कुमार, का० शिवम थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना सांगीपुर, प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में उ0नि0 आदित्य पाण्डेय मय हमराह का कुलदीप पाल द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान Old cri.Case 1701594/2023 धारा 7/16 खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त पप्पू सोनी उर्फ विन्ध्येश्वरी सोनी पुत्र लल्लन सोनी उर्फ लालता प्रसाद सोनी निवासी ग्राम सांगीपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सांगीपुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. पप्पू सोनी उर्फ विन्ध्येश्वरी सोनी पुत्र लल्लन सोनी उर्फ लालता प्रसाद सोनी निवासी ग्राम सांगीपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 आदित्य पाण्डेय मय हमराह का कुलदीप पाल थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा “हत्या के प्रयास” के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त व 03 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्तों को काशीराम कालोनी के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.02.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत काशीराम कालोनी सरोज चौराहा के पास दो पक्षों में मारपीट के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 98/26 धारा 191(2), 190, 115(2), 352, 351 (2), 109(1) बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह रि0म0का0 कल्पना, म0का0 माधुरी, का0 रंजीत, रि0का0 विवेक निषाद द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 98/26 धारा 191(2), 190, 115(2), 352, 351 (2)/109(1)बीएनएस में वांछित 04 अभियुक्तों- 1.मो0 सईद उर्फ रुस्तम पुत्र मो0 नसीर उम्र करीब 24 वर्ष 2. गुड्डून पत्नी मो0 नसीर उम्र करीब 46 वर्ष 3. आंचल पत्नी मो0 सईद उर्फ रुस्तम उम्र करीब 23 वर्ष 4.साफिया बानो उर्फ रोशनी पत्नी मो0 साहीद उर्फ नूर उम्र करीब 23 वर्ष समस्त निवासीगण सरोज चौराहा काशीराम कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को काशीराम कालोनी से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मो0 सईद उर्फ रुस्तम पुत्र मो0 नसीर निवासी सरोज चौराहा काशीराम कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष ।
2. गुड्डून पत्नी मो0 नसीर निवासी सरोज चौराहा काशीराम कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।
3. आंचल पत्नी मो0 सईद उर्फ रुस्तम निवासी सरोज चौराहा काशीराम कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।
4. साफिया बानो उर्फ रोशनी पत्नी मो0 साहीद निवासी सरोज चौराहा काशीराम कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह रि0म0का0 कल्पना, म0का0 माधुरी, का0 रंजीत, रि0का0 विवेक निषाद थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लीलापुर, प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 05 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना लीलापुर प्रभारी निरीक्षक श्री अमला सिंह के नेतृत्व में-

उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह का राजकिशोर यादव, का0 बाबूलाल यादव, रि0का0 अभिषेक यादव, रि0का0 अंकित कुमार, रि0का0 पूर्णेन्द्र प्रताप यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान 1. मु0अ0सं0 20/96 धारा 392/411 भादवि थाना लालगंज से संबंधित वारण्टी अभियुक्त करुणाशंकर तिवारी पुत्र जगन्नाथ निग्रा0 हदिराही थाना लीलापुर (पूर्व थाना लालगंज) जनपद प्रतापगढ़, 2. मु0नं0 218/20 मु0अ0सं0 140/20 धारा 323/504/506 भादवि थाना लालगंज से संबंधित वारण्टी अभियुक्त धनन्जय सिंह पुत्र छोटे सिंह नि0 ग्रा0 डाडी थाना लीलापुर (पूर्व थाना जेठवारा) जनपद प्रतापगढ़, 3. मु0अ0सं0 150/99 धारा 323/504 भादवि थाना लालगंज से संबंधित वारण्टी अभियुक्त मुन्ना पुत्र बाबूलाल नि0ग्रा0 गोविन्दपुर थाना लीलापुर (पूर्व थाना लालगंज) जनपद प्रतापगढ़, 4. मु0अ0सं0 150/99 धारा 323/504 भावि थाना लालगंज से संबंधित वारण्टी अभियुक्त सन्तोष पुत्र मोती हरिजन नि0ग्रा0 गोविन्दपुर थाना लीलापुर (पूर्व थाना लालगंज) जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह रि0आ0 अमन सिंह द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान केस सं0 369/19 मु0अ0सं0 469/16 धारा 138 B विद्युत अधिनियम से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त सदाशंकर वर्मा पुत्र रामसहाय वर्मा नि0ग्राम ओरी का पुरवा सगरा सुन्दरपुर थाना थाना लीलापुर (पूर्व थाना लालगंज) जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. करुणाशंकर तिवारी पुत्र जगन्नाथ निग्रा0 हदिराही थाना लीलापुर (पूर्व थाना लालगंज) जनपद प्रतापगढ़।
02. धनन्जय सिंह पुत्र छोटे सिंह नि0 ग्रा0 डाडी थाना लीलापुर (पूर्व थाना जेठवारा) जनपद प्रतापगढ़।
03. मुन्ना पुत्र बाबूलाल नि0ग्रा0 गोविन्दपुर थाना लीलापुर (पूर्व थाना लालगंज) जनपद प्रतापगढ़।
04. सन्तोष पुत्र मोती हरिजन नि0ग्रा0 गोविन्दपुर थाना लीलापुर (पूर्व थाना लालगंज) जनपद प्रतापगढ़।
05. सदाशंकर वर्मा पुत्र रामसहाय वर्मा नि0ग्राम ओरी का पुरवा सगरा सुन्दरपुर थाना थाना लीलापुर (पूर्व थाना लालगंज) जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 दीपक कुमार यादव, उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह का राजकिशोर यादव, का0 बाबूलाल यादव, रि0का0 अभिषेक यादव, रि0का0 अंकित कुमार, रि0का0 पूर्णेन्द्र प्रताप यादव, रि0आ0 अमन सिंह थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पाँक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 03 वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया -

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा बाल अपचारी को थाना क्षेत्रान्तर्गत हल्ला का पुरवा चाहिन पुल के पास से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर श्री मो0 आफताब आलम (परिवीक्षाधीन आईपीएस) के नेतृत्व में थाना उदयपुर उ0नि0 नन्दलाल मय हमराहियान का0 गिरीश, रि0का0 आकाश मिश्रा द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 70 (2)/65 (2) BNS व 5g/6 पाक्सो एक्ट थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 03 वांछित बाल अपचारी को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत हल्ला का पुरवा चाहिन पुल के पास से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

03 वांछित बाल अपचारी ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 नन्दलाल मय हमराहियान का0 गिरीश, रि0का0 आकाश मिश्रा थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।